

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

अंजली

बनाम

इमरचन्द

सम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 333/2022/529

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

7/06/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री/श्रीमती अंजली - कल्याण - कैलाश - कामूराम
पिता शोहनलाल मीणा, गान्धी बाई का सोहनलाल मीणा, संतोष
पिता श्री शोहनलाल मीणा

निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम चतुरपुरा (प.ए. नारेला) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 47/669, 50, 51/640, 51/670, 52/671, 54/672

कुल कीता 6 कुल रकबा 1.6200 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम चतुरपुरा (प.ए. नारेला) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 47/669, 50, 51/640, 51/670, 52/671, 54/672

कुल कीता 6 रकबा 1.6200 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000= 00 रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(अखिल सुन्दर मिश्रा)
उपखण्ड कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

